

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सा. 466)/2018/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती सोसम्मा वर्गिस, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अधीन जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जिनकी जन्म तिथि 21.03.1964 एवं राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि 10.07.1984 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 14.09.2018 से दिनांक 12.11.2018 तक विदेश यात्रा (यू.ए.ई.) हेतु स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिका विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवा कर प्रस्थान करेगी तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात् अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगी।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगी।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

— 50 —
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सा. 466)/2018/4011

दिनांक:- 6-11-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।
2. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।
3. चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, मोतीकटला, जयपुर।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्रीमती सोसम्मा वर्गिस, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारों।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा
राजस्थान, जयपुर